दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाहो का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 04 अपेल, 2003 / चैत्र 14,1925 (शक)

संख्या: 105

माननीय उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं ।

1. 2.00 बजे **प्रश्न काल**: तारांकित पश्न संख्या-241-244 एवं 247 तथा उनसे संबंधित पूरक पश्न पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये । तारांकित पश्न संख्या-245, 248-260 एवं अतारांकित पश्न संख्या- 468 से 486 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

2. 3.00 बजे **परिवहन मंत्री का वक्तव्य:** श्री अजय माकन, परिवहन मंत्री ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लाइसेंस के संबंध में वक्तव्य दिया ।

3. 3.04 बजे **विशेष उल्लेख:** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाये गये: -
   1. श्री सुरेन्द्र कुमार
   2. श्री मोहन सिंह बिष्ट
   3. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह (शहरी विकास मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
   4. श्री हरशरण सिंह बल्ली
   5. श्री माला राम गंगवाल
   6. श्री ब्रहम पाल
   7. श्री साहब सिंह चौहान (शहरी विकास मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
   8. श्री भीष्म शर्मा (मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
   9. श्री नन्द किशोर गर्ग

4. 3.25 बजे

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प:

1. श्री साहब सिंह चौहान ने निम्नलिखित संकल्प पस्तुत किया: -

"यह सदन संकल्प करता है कि अन्य राज्यों की भांति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" का गठन किया जाए तथा सत्र 2003-04 की परीक्षाएं इसी बोर्ड द्वारा ली जायें।"

समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।
संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से अस्वीकार किया गया ।
श्री साहब सिंह चौहान ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया ।

2. श्रीमती अंजलि राय ने निम्नलिखित संकल्प पस्तुत किया:

"यह सदन संकल्प करता है कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए, शारीरिक शोषण से बचाने एवं उहें सशक्त बनाने के उददेश्य से आवश्यक कानून बनाया जाए। यह सदन यह भी संकल्प करता है कि पकाशनों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया और विज्ञापनों में उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह पदर्शित किए जाने पर रोक लगाने हेतु इस कानून में व्यवस्था की जाए ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया: -
1. डॉ. श्रीमती किरण वालिया
2. श्री नन्द किशोर गर्ग
3. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

मुख्य मंत्री ने संकल्प पर चर्चा का उत्तर दिया ।
समाज कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और बताया कि इस मामले में कानून बनाने के लिये भारतीय संसद सक्षम है और श्रीमती अंजलि राय से संकल्प को संशोधित करने का अनुरोध किया ।

श्रीमती अंजलि राय अपने संकल्प को संशोधित करने पर सहमत हो गई । तदनुसार निम्नलिखित यथासंशोधित संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गयाः -

"यह सदन संकल्प करता है कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए, शारीरिक शोषण से बचाने एवं उन्हें सशक्त बनाने के उददेश्य से भारतीय संसद द्वारा आवश्यक कानून बनाया जाए। यह सदन यह भी संकल्प करता है कि पकाशनों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया और विज्ञापनों में उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह पदर्शित किए जाने पर रोक लगाने हेतु इस कानून में व्यवस्था की जाए ।"

4.15 बजे सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।

4.45 बजे सदन पुनः समवेत हुआ ।

3. श्री माला राम गंगवाल ने निम्नलिखित संकल्प पस्तुत किया :

"यह सदन संकल्प करता है कि सभी पमुख नालों पर मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स लगाए जाएं और इन स्थानों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाए ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री नन्द किशोर गर्ग
2. श्री साहब सिंह चौहान

परिवहन एवं पर्यटन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और सदस्य से अनुरोध किया कि वे अपने संकल्प में संशोधन कर लें ।

श्री माला राम गंगवाल संकल्प पर संशोधन करने के लिये सहमत हो गये । तदनुसार निम्नलिनखित संशोधित संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया :-

यह सदन संकल्प करता है कि सभी पमुख नालों पर आवश्यकता अनुसार एवं जमीन की उपलब्धता अनुसार मिनी सीवर ट्रीटमेंट प्लान्टस लगाये जाएं ।

4. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह ने निम्नलिखित संकल्प पस्तुत किया:

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली विकास पाधिकरण द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवास निर्माण के लक्ष्य पाप्त करने में असफलता के कारण इस निकाय को तुरन्त भंग कर दिल्ली सरकार के अधीन अलग से एक हाउसिंग बोर्ड का गठन किया जाये ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः -

1. श्री रूप चन्द
2. श्री नन्द किशोर गर्ग
3. श्री राधेश्याम खन्ना

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और सदस्य से अपने संकल्प में संशोधन करने का अनुरोध कियाः -

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह अपने संकल्प पर संशोधन करने में सहमत हो गये । तदनुसार निम्नलिखित यथासंशोधित संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गयाः -

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली विकास पाधिकरण को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में लाया जाये और दिल्ली सरकार के अधीन अलग से एक हाउसिंग बोर्ड का भी गठन किया जाये ।"

5. श्री मोहन सिंह बिष्ट ने निम्नलिखित संकल्प पस्तुत किया:

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को संबेधानिक अधिकार दिलाने हेतु अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा नीति को सख्ती से लागू किया जाए।"

समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से अस्वीकार किया गया ।

6.22 बजे सदन 07 अपेल, 2003 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,
4 अप्रैल, 2003

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART – I

(Brief record of proceedings)

Friday 4th April 2003 / Chaitra 14, 1925 (Saka)

No. 105

2.00 **Hon'ble Deputy Speaker in-chair**

1 **Question Hour:**
Starred Questions 241 – 244, 246 and 247 were asked and replied.
Replies to Starred Questions 245, 248 – 260 and Unstarred Questions 468 – 486 were laid on the Table.

2 3.00 **Statement of the Minister of Transport**: Shri Ajay Maken, Minister of Transport made a statement regarding magnified copy of driver's license for auto rickshaw drivers.

3 3.04 **Special Mention (Rule 280):** Following Members raised matters under Rule 280:

1. Shri Surender Kumar
2. Shri Mohan Singh Bisht
3. Shri Tarvinder Singh Marwah (Minister of Urban Development intervened)
4. Shri Harsharan Singh Balli
5. Shri Malaram Gangwal
6. Shri Brahm Pal
7. Shri Sahab Singh Chauhan (Minister of Urban Development intervened)
8. Shri Bheeshm Sharma (Chief Minister intervened.
9. Shri Nand Kishore Garg

Private Members Business

4 3.25 1. **Shri Sahab Singh Chauhan** moved the following Resolution:
"This House resolves that a separate 'Delhi Board of Secondary Education' as in other states be constituted for the National Capital Territory of Delhi and the examinations for the year 2003-2004 be conducted by this Board."

The Minister of Social Welfare and Education replied.
The Resolution was put to vote and defeated by voice-vote.

Shri Sahab Singh Chauhan walked out in protest.

2. **Smt. Anjali Rai** moved the following Resolution:
"This House resolves that necessary legislation be enacted to protect the dignity of women, empower them and save them from sexual exploitation. It further resolves that through this legislation an end should be put to attempts being made to project them as objects of desire in the publications, electronic media and advertisements."
The following Members participated in the debate:

i) Dr. (Smt.) Kiran Walia
ii) Shri Nand Kishore Garg
iii) Shri Tarvinder Singh Marwah

The Chief Minister made a statement on the Resolution.
The Minister of Social Welfare replied to the debate and stated that the Parliament of India was competent to enact the desired legislation.

Smt. Anjali Rai agreed to amend her resolution. The following amended **resolution was put to vote and adopted unanimously**:

"This House resolves that necessary legislation be enacted by the Parliament of India to protect the dignity of women, empower them and save them from sexual

exploitation. It further resolves that through this legislation an end should be put to attempts being made to project them as objects of desire in the publications, electronic media and advertisements."

4.15 **House adjourned for tea break.**
4.45 **House reassembled.**

4. **Shri Malaram Gangwal** moved the following Resolution:
"This House resolves that mini sewage treatment plants be installed on all major drainage systems and these places be developed as tourist attractions."

The following Members participated in the debate:
1. Shri Nand Kishore Garg
2. Shri Sahab Singh Chauhan

The Minister of Transport and Tourism replied to the debate and requested that the Member amend his resolution:

Shri Malaram Gangwal agreed to amend his resolution. The following amended resolution was put to vote and adopted unanimously:

"This House resolves that in accordance with the need and availability of land, mini sewer treatment plants be installed on all major drains."

5. **Shri Tarvinder Singh Marwah** moved the following Resolution:
"This House resolves that due to their inability to provide adequate housing, the DDA be disbanded forthwith and a separate Housing Board constituted under Government of Delhi."

The following Members participated in the debate:
1. Shri Roop Chand
2. Shri Nand Kishore Garg
3. Shri Radhey Shyam Khanna

The Minister of Urban Development replied and requested the Member to amend his resolution.

Shri Tarvinder Singh Marwah agreed to amend his resolution. The following amended resolution was put to vote and adopted unanimously:
"This House resolves that the Delhi Development Authority be brought under the control of the Government of Delhi and a separate Housing Board also be constituted under Government of Delhi."

6. **Shri Mohan Singh Bisht** moved the following Resolution:
"This House resolves that in order to give effect to their constitutional rights all children up to the age of 14 years should be provided free and compulsory education."

The Minister of Social Welfare and Education replied.
The Resolution was put to vote and defeated by voice-vote.

6.22 **House was adjourned up to 2.00 P.M. of 7th April 2003**

Delhi.
4th April 2003

Siddharath Rao
Secretary